संख्या–49/XXII/2005–44(सू0)2003 टी0सी0

प्रेषक,

सुबर्द्धन
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग,
देहरादून।

सूचना अनुभाग : देहरादून : दिनांक 23 मार्च, 2005

विषयः–वित्तीय वर्ष 2004–05 में प्राविधानित अवशेष धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–75/XXII/04, दिनांक 4–08–2004 तथा आपके पत्र संख्या–517 /सू0एवं0लो0सं0वि0/लेखा–बजट आवंटन/2004–05, दिनांक 17–03–05 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तरांचल हेतु वित्तीय वर्ष 2004–05 में आयोजनेत्तर पक्ष में रू0 70 हजार (रूपये सत्तर हजार मात्र) निम्न विवरणोंनुसार व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

लेखाशीर्षक/उपलेखाशीर्षक	मानक मद	वित्तीय वर्ष 2004–05 में स्वीकृत की जा रह धनराशि (आयोजनेत्तर)
2220–सूचना तथा प्रचार 60–अन्य–आयोजनेत्तर 001–निदेशन तथा प्रशासन 03–अधिष्ठान–00	07–मानदेय	50
60–अन्य–आयोजनेत्तर 108–क्षेत्र प्रचार 03–अधिष्ठान–00	07–मानदेय	20
योग		70

(रू0 सत्तर हजार मात्र)

2–उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देश का कड़ाई से अनुपालन किया जाये। मानदेय विषयक समस्त नियमों का अनुपालन करके ही मानदेय स्वीकृत किया जायेगा।
3–स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग 31–03–2005 तक पूर्ण कर उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।
4–व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिनके लिए ये धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
5–इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 के आय व्ययक की अनुदान संख्या के 2220–सूचना तथा प्रचार की प्रस्तर–1 की तालिका में उल्लिखित सुसंगत प्राविधिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

6– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0 पत्र संख्या–967/वित्त अनुभाग–3/2005, दिनांक 21 मार्च, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति के आधार पर किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुबर्द्धन)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या– /XXII/2005–44(सू0)2003 टी0सी0, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, देहरादून।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तरांचल शासन।
4– श्री एल0एम0 पन्त, अपर सचिव, वित्त, उत्तरांचल शासन।
5– वित्त अनुभाग–3.
6– जिलाधिकारी, देहरादून।
7– एन0आई0सी0, सचिवालय प्रशासन, देहरादून।
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुबर्द्धन)
अपर सचिव।